

सेवा में

श्री अजीत नारायण,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शुक्ति
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रोविन्स विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संज्ञक: दिनांक: 29 अगस्त, 1995

विषय:- शिक्षा तदन धामपुर विज्ञान को लीटिंगरुस्तो की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु आपूर्ति प्रमाण पर विद्ये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कल्पे का निदेश हुआ है कि शिक्षा तदन धामपुर विज्ञान को लीटिंगरुस्तो की नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में जो राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दो प्राथमिक स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में निम्नलिखित बच्चों के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 तैयार द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीटिल फर दि वैडियन रजिस्ट्रार सिनेट इकाईमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की संस्थि से परिषद से मान्यता तब राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 तैयार वैडिक एवं सिनेटकर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण तैयारों के कर्मचारियों को अनुसूचित वैतलमानों तथा अन्य भर्तों से कम वैतलमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा निर्धारित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।